न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 01/2019

बउनवान

सरकार जर्ये उप वन संरक्षक, बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

1–श्री सुरेश चन्द जैन पुत्र श्री ख्यालीचंद जैन, बर्खास्त कार्मिक, कार्यालय सहायक, कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां, जिला–बारां (राज.) (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत

उपस्थिति :–1. श्री चन्द्रप्रकाश मीणा, अभिभाषक (प्रार्थी)

2. श्री ओम प्रकाश मेहता II, अभिभाषक (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक– 28.08.2024

1– प्रार्थी की ओर से जनमॉग वसूली अधिनियम,1952 के तहत प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी के विरूद्व विभागीय गबन की राशि 31,82,725.80/–रूपये मय आगे का ब्याज व खर्चे काबिल वसूली योग्य है। इसलिये अप्रार्थी से जनमॉग वसूली अधिनियम,1952 के तहत उक्त राशि वसूल करने के आदेश पारित किये जावे। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी तेन्दुपत्ता लिपिक के पद पर दिनांक 01.01.1988 से दिनांक 31.12.1992 तक कार्यरत रहा है। कार्यालय वन संरक्षक, पूर्वीवृत, कोटा के विशेष जांच प्रतिवेदन 22/2002–03 द्वारा निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा मण्डल वन अधिकारी, बारां, पूर्व के कार्यालय के राजस्व लेखे अवधि 01.01.1988 से 31.12.1991 में पाई गई राजस्व हानि के लिये अप्रार्थी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाकर गबन की गई विभागीय राशि की वसूली मय ब्याज किये जाने हेतु प्रकरण पेश किया गया है।

इस प्रकार अप्रार्थी से उक्त गबन राशि 31,82,725.80/–रूपये वसूल करने हेतु जन मॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत रिक्वीजेशन प्रस्तुत कर, उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा बाकीदार/अप्रार्थी के विरूद्व 31,82,725.80/–रूपये बकाया होने पर अप्रार्थी के विरूद्व दिनांक 03.05.2019 को धारा–4 (प्रपत्र–2) में राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट, 1952 के तहत राशि 31,82,725.80/–रूपये काबिल वसूल होने के संबंध में प्रमाण–पत्र जारी किया गया।

3– अप्रार्थी को राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत धारा–6 (प्रपत्र–3) में पत्रांक 381 दिनांक 03.05.2019 से इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि आपके विरूद्व इस न्यायालय में जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत रिक्वीजेशन (प्रमाणपत्र) विचाराधीन है, यदि आप उक्त राशि 31,82,725.80/–रूपये बकाया होने से इन्कार करते है तो आप इस नोटिस की तारीख जब आपको मिले, उस तारीख से 30 दिवस के अन्दर बकाया... की याचिका मय आवश्यक दस्तावेज के पेश करे, यदि आप... आपसे उक्त राशि की वसूली राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट, 1952 के तहत मूल रकम मय ब्याज 13 प्रतिशत व 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित एक मर्तबा में ... की जावेगी। जब तक आप रूपये 31,82,725.80/–रूपये मय ब्याज व कलेक्शन चार्जेज

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar

Date: 2024.10.14 14:00:22 IST

Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

बारां (राज०)

सहित जमा नहीं करा देवे, तब तक आपको अपनी चल–अचल सम्पत्ति या उसका भाग बेचान, दान अथवा अन्य किसी भी तरीके से खुर्द–बुर्द कराने अथवा हस्तान्तरित करने से रोका जाता है। यदि इस बीच में या आपको जब से नोटिस मिले, तब से आपने अपनी जायदाद को छिपाने, हटाने व बेचने की कोशिश की तो इस प्रमाणपत्र का तत्काल निष्पादन कर दिया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी। नोटिस के साथ प्रमाणपत्र धारा–4 राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न की गयी।

4– न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को जारी नोटिस 03.05.2019 मय प्रमाणपत्र जर्ये थानाधिकारी, कोतवाली, बारां तामील हेतु भेजने पर, अप्रार्थी को दिनांक 25.05.2019 को नोटिस व्यक्तिशः तामील हुआ है। अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब नोटिस पेश हुआ जो संलग्न पत्रावली है।

5– अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब नोटिस इस आशय का पेश हुआ कि अप्रार्थी के विरूद्ध जिस जांच के तहत उक्त रिकवरी करने का नोटिस जारी किया गया है उसके संदर्भ में कभी भी किसी भी जांच में अप्रार्थी को ना ही बुलाया गया ना ही कोई सूचना दी गई। न किसी वर्ष का कितनी कितनी राशि का अन्तर है यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है इसलिये जनमांग वसूली का प्रमाण पत्र बिना अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये श्रीमान् न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है जिसके आधार पर श्रीमान् न्यायालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 03.05.2019 अवैधानिक होने से अस्वीकार व निरस्तनीय है। अप्रार्थी के विरूद्ध जो आरोप लगाये गये वह मनगढन्त मिथ्या एवं बनावटी हैं। पूर्व में भी न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रकरण संख्या 1/2001 व 2/2002 बउनवान मण्डल वन अधिकारी बारां बनाम सुरेश चन्द्र जैन पेश हुई जो न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 19.04.2005 को जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के अन्तर्गत वसूली कार्यवाही स्थगित की जाकर प्रकरण निरस्त किया जाता है का आदेश उक्त दोनों प्रकरणों में पारित किया गया है। अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी को जारी नोटिस दिनांक 03.05.2019 निरस्त फरमाया जावे।

6– हमारे द्वारा बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी गयी।

7– बहस के दौरान प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी दिनांक 01.01.1988 से दिनांक 31.12.1992 तक तेन्दूपत्ता लिपिक के पद पर कार्यरत रहा है। कार्यालय वन संरक्षक, पूर्वीवृत, कोटा के विशेष जांच प्रतिवेदन 22/2002–03 द्वारा निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा मण्डल वन अधिकारी, बारां, पूर्व के कार्यालय के राजस्व लेखे अवधि 01.01.1988 से 31.12.1991 में पाई गई राजस्व हानि के लिये अप्रार्थी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाकर गबन की गई विभागीय राशि की वसूली मय ब्याज किये जाने हेतु प्रकरण पेश किया गया है। विभागीय स्तर पर अप्रार्थी को दोषी मानकर, अप्रार्थी से उक्त गबन राशि 31,82,725.80/– रूपये वसूल करने हेतु जन मॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत रिक[illegible]स्तुत कर, उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल करने हेतु प्रार्थनापत्र [illegible] स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त [illegible] मय ब्याज [illegible] कलेक्शन चार्जेज वसूल करने हेतु आदेश पारित किये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.14 14:00:22 IST
Reason: SelfAttested

8– दौराने बहस विद्वान अभिभाषक [illegible]प्रार्थी ने जवाब नोटिस में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध जिस जांच के तहत उक्त

निकासी करने का नोटिस जारी किया गया है उसके संदर्भ में कभी भी किसी भी जांच में अप्रार्थी को ना ही बुलाया गया ना ही कोई सूचना दी गई। न किसी वर्ष का कितनी कितनी राशि का अन्तर है यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है इसलिये जनमांग वसूली का प्रमाण पत्र बिना अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये श्रीमान् न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है जिसके आधार पर श्रीमान् न्यायालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 03.05.2019 अवैधानिक होने से अस्वीकार व निरस्तनीय है। अप्रार्थी के विरूद्ध जो आरोप लगाये गये वह मनगढन्त मिथ्या एवं बनावटी हैं। पूर्व में भी न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रकरण संख्या 1/2001 व 2/2002 बउनवान मण्डल वन अधिकारी बारां बनाम सुरेश चन्द्र जैन पेश हुई जो न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 19.04.2005 को जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के अन्तर्गत वसूली कार्यवाही स्थगित की जाकर प्रकरण निरस्त किया जाता है का आदेश उक्त दोनों प्रकरणों में पारित किया गया है। विभाग की ओर से दर्ज कराये गये फौजदारी प्रकरण में अप्रार्थी को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्टट्रेक) बारां द्वारा फौजदारी अपील कमांक 02/2006 में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2009 से दोषमुक्त किया गया है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध की गयी कार्यवाही को निरस्त फरमावें।

9— हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया। जिससे पाया जाता है कि श्री सुरेश चन्द जैन पुत्र श्री ख्यालीचंद जैन, बर्खास्त कार्मिक, कार्यालय सहायक, कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां, जिला—बारां (राज.) जो स्थानीय कार्यालय में दिनांक 01.01.1988 से दिनांक 31.12.1992 तक तेन्दूपत्ता लिपिक के पद पर कार्यरत रहा है तथा कार्यालय वन संरक्षक, पूर्वीवृत, कोटा के विशेष जांच प्रतिवेदन 22/2002—03 द्वारा निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा मण्डल वन अधिकारी, बारां, पूर्व के कार्यालय के राजस्व लेखे अवधि 01.01.1988 से 31.12.1991 में पाई गई राजस्व हानि के लिये अप्रार्थी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाकर गबन की गई विभागीय राशि की वसूली मय ब्याज किये जाने हेतु प्रकरण पेश किया गया है। विभागीय स्तर पर अप्रार्थी को दोषी मानकर, अप्रार्थी से उक्त गबन राशि 31,82,725.80/—रूपये वसूल करने हेतु जन मॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत रिक्वीजेशन प्रस्तुत कर, उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिक्वीजेशन प्रमाणपत्र वसूली योग्य पाया जाता है।

10— परिणामस्वरूप, प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी श्री सुरेश चन्द जैन पुत्र श्री ख्यालीचंद जैन, बर्खास्त कार्मिक, कार्यालय सहायक, कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां, जिला—बारां (राज.) से राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत राशि 31,82,725.80/—रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। अप्रार्थी से उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति मय प्रमाणपत्र धारा—4 उप वन संरक्षक, बारां जिला—बारां एवं जिला राजस्व लेखाकार, बारां को भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 28.08.20 सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.14 14:00:22 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां